जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

विवरणिका

प्री–शिक्षाशास्त्री (पी.एस.एस.टी.) परीक्षा–2019

सामान्यदिशानिर्देशिका

संरक्षक

प्रो. आर.के. कोठारी

कुलपति

समन्वयक

अशोक कुमार शर्मा

(R.A.S.)

कुलसचिव

सह–समन्वयक

डॉ.राजधर मिश्र	डॉ0 के0 साम्बशिवमूर्ति	डॉ0 माताप्रसाद शर्मा	डॉ0 जे0 एन0 विजय
सह आचार्य	सह आचार्य	सह आचार्य	सहायक कुलसचिव

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

हेल्पलाईन नम्बर :–7375808060

इन्टरनेट वैबसाईट : http://jrrsupsst.org, www.jrrsanskrituniversity.ac.in

पीएसएसटी–2019
महत्वपूर्ण निर्देश

1. पात्रता	शास्त्री / बी.ए. (संस्कृत विषय सहित) आचार्य / एम.ए. (संस्कृत) विषय में	**(निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक अर्हता के साथ)**

2. प्रवेश परीक्षा (पीएसएसटी 2019) शुल्क 500 / – रुपये

3. फोन परामर्श

(i) **हैल्पलाईन न.**	**7375808060**
(ii) हेल्पडेस्क ईमेल	**jrrsuexam2019@gmail.com**
(iii) संबंधित वेबसाईट	**http://jrrsupsst.org, www.jrrsanskrituniversity.ac.in**
4. पीएसएसटी परीक्षा –2019 के आयोजन की तिथि	**दिनांक 26.05.2019**

पी.एस.एस.टी के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :–

1. प्रतियोगी परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पाठ्यबिन्दु एवं रूपरेखा निम्नानुसार है :–
   - (i) पी.एस.एस.टी. 2019 परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा जिसके **चार** भाग होंगे।
   - (ii) सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।
   - (iii) प्रश्न–पत्र की भाषा संस्कृत होगी।
   - (iv) प्रश्न–पत्र अवधि 3 घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। इसमें Negative Marking नहीं की जावेगी।
   - (v) प्रश्न–पत्र में सभी प्रश्न बहु विकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होगें। (आदर्श प्रश्न–पत्र पृ. 11 पर देखें।)
2. **पाठ्य बिन्दु – (i) संस्कृत भाषा–80 अङ्काः**
   - क. **भाषा दक्षता– 50 अंक** (विषय क्षेत्र–उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, सन्धि, समास, कृदन्त, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, अपत्यार्थक, मतुप् व णिच् सन्, वाच्य, कारक एवं उपपद विभक्ति तथा वाक्य शुद्धि)
   - ख. **संस्कृत वाङ्मय परीक्षण– 30 अंक** (विषय क्षेत्र– वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वेदांग, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय)
   - **(ii) सामान्य ज्ञान– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थान, भूगोल, पर्यावरण, पुरस्कार, खेल–कूद, विशिष्ट दिवस, समसामयिक घटनाएं तथा राजस्थान प्रान्त के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान)
   - **(iii) मानसिक योग्यता– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– मानवीय सम्बन्ध, कार्य–कारण सम्बन्ध, आधार–आधेय सम्बन्ध, संख्या क्रम, आरोह / अवरोह, वर्णमाला क्रम, सांकेतिक भाषा, समय–वार–दिन–घण्टे, दर्पण में समय का अभिप्राय)
   - **(iv) शैक्षिक अभिरुचि– 40 अंक** (विषय क्षेत्र– शिक्षक–गुण / कर्तव्य, कक्षा अनुशासन, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षक भूमिका, शिक्षा के आधार, शिक्षा मनोविज्ञान, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, मूल्य शिक्षा, शिक्षा आयोग एवं शिक्षा समस्याएं।)

सत्र 2019–20 में द्विवर्षीय शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु प्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा 2019 को आयोजित करने के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक प18(1)शिक्षा–6 / 2016, जयपुर दिनांक 18.02.2019 के अनुसार जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

प्री–शिक्षाशास्त्री टैस्ट–2019

: : प्रवेश नियम : :

1. राजस्थान के सभी शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु शिक्षाशास्त्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) प्री शिक्षाशास्त्री टैस्ट (पी.एस.एस.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य परीक्षा में अथवा संस्कृत विषय सहित स्नातक/संस्कृत स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो–न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पीएसएसटी के माध्यम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा (शास्त्री/आचार्य/बी.ए./एम.ए.) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (राज्य सरकार के नियमानुसार) प्राप्त किये हैं वे भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र हैं। वांछित न्यूनतम प्रतिशत की गणना में एक अंक (प्वाइन्ट में) भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होने पर आवेदक की अभ्यर्थता को निरस्त कर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ–सामान्य वर्ग के किसी अभ्यर्थी ने स्नातक/स्नातकोत्तर में वांछनीय विषयों के साथ कुल प्राप्तांकों 500 में से 249 अंक प्राप्त किये हो ऐसी दशा में वह पात्र नहीं है। ऐसे ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने स्नातक/स्नातकोत्तर में वांछनीय विषयों के साथ कुल प्राप्तांकों 500 में से 224 अंक प्राप्त किये हो ऐसी दशा में वह पात्र नहीं हैं।
2. **विश्वविद्यालय से संबंद्धित महाविद्यालयों में कुल उपलब्ध सीटों की अपेक्षा आवेदन पत्रों की संख्या कम/समान होने पर पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षाशास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग में पात्रता का आधार योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत होगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होता है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (Older First) किया जावेगा।**
3. शिक्षाशास्त्री की कुल सीटों में से 70 प्रतिशत आरक्षण पारंपरिक धारा (शास्त्री/शास्त्री+आचार्य /बी.ए. संस्कृत सहित+आचार्य) उपाधि धारकों के लिए हैं तथा 30 प्रतिशत आरक्षण शास्त्री या आचार्य परीक्षेतर बी.ए. (संस्कृत सहित)/एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए हैं।
4. पात्रता परीक्षा शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत सहित) आचार्य/एम.ए. (संस्कृत 2019) तृतीय वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर में बैठने वाले विद्यार्थी भी पीएसएसटी 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा में बैठ सकते हैं। (एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पीएसएसटी के लिए पात्र होंगे।) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम की उपाधि संस्कृत के बिना उत्तीर्ण होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एम.ए. संस्कृत कर लिया हो वे भी पीएसएसटी 2019 के लिए पात्र होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि

एसे अभ्यर्थी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उनका निर्देश पुस्तिका में अंकित 10 विषयों में से संस्कृत विषय के अतिरिक्त कोई दूसरा शिक्षण विषय बनता हो। पीएसएसटी की पात्रता (शास्त्री/बी.ए. संस्कृत आचार्य/एम.ए संस्कृत) परीक्षा प्रविष्ट अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के समय पात्रता परीक्षा की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5. अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिये।

6. पी.एस.एस.टी में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।

7. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे परन्तु प्रवेश क्षमता की कुल सीटों में 30 प्रतिशत सीटे राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती है बशर्ते है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की मैरिट का कट ऑफ राजस्थान राज्य के सामान्य श्रेणी के छात्र से कम न हो, शेष सीटें राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहेंगी। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों से सीटें भरी जावेंगी।

8. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :–

(i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ....16 प्रतिशत

(ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये ....12 प्रतिशत

नोट :– राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा–1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के पांच जिले यथा– बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, उदयपुर एवं सिरोही

(iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ....21 प्रतिशत

(iv) महिला अभ्यर्थी ....20 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों कों आवंटित किये जायेंगे।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (मूक–बधिर, शारीरिक विकलांग तथा दृष्टिहीन प्रत्येक को 01 प्रतिशत) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर ....03 प्रतिशत।